

माह-नवम्बर 2013 के लिए किरासन तेल का उपावंटन आदेश।

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6840 दिनांक-30.10.13 द्वारा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला को माह नवम्बर 2013 हेतु वितरण के लिए 3125512 लीटर किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। परन्तु उठाव के लिए 260 टैंकलॉरी अर्थात् 3120000 लीटर का आवंटन प्राप्त है।

अतएव टैंकलॉरी में प्राप्त आवंटन 3120000 लीटर में मासिक अवशेष से 5512 लीटर तेल सम्मिलित करते हुए कुल-3125512 लीटर किरासन तेल को प्रतिवेदित कूपन वितरण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए 2.75 लीटर एवं शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए 2.25 लीटर प्रति परिवार की दर से माह नवम्बर 2013 के लिए प्रखंडवार/निकायवार किरासन तेल का उपावंटन संलग्न विवरणी के अनुसार किया जाता है तथा वितरण के लिए निम्नलिखित निदेश दिया जाता है :-

- ठेला भेण्डर को 750 ली० की दर से उपावंटित किया गया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विभागीय निदेश के आलोक में ठेला भेण्डरों से विभिन्न संस्थानों/छात्रावासों एवं अस्पतालों, आदि स्थानों पर क्षेत्र का निर्धारण कर नियमानुसार वितरण कराना तथा वितरण क्षेत्र में निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र के ठेला भेण्डरों का किरासन तेल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किरासन तेल का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सुदूरवर्ती थानों के लिए देय किरासन तेल की मात्रा को पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी अपने स्तर से अधीनस्थ थानादार उपावंटन करेंगे तथा उपावंटन सूची की एक प्रति जिला आपूर्ति प्रशाखा को भेजेंगे।
- संलग्न सूची में उपावंटित किरासन तेल का उठाव कर कालाबाजारी करने वाले दोषी जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेण्डर के साथ संबंधित किरासन तेल थोक विक्रेता एवं संबंधित आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी पर भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक-1871 दिनांक-13.07.05 का अनुपालन करते हुए रोस्टर के अनुसार प्रत्येक माह के 11 वीं तारीख तक 60 प्रतिशत, 18 वीं तारीख तक 85 प्रतिशत तथा माह के 26 वीं तारीख तक 100 प्रतिशत किरासन तेल जन वितरण विक्रेताओं से उठाव कराना तथा निर्धारित तिथि को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि माह के 10 वीं तारीख तक 60 प्रतिशत, 17 वीं तारीख तक 85 एवं 25 वीं तारीख तक 100 प्रतिशत कम्पनी से किरासन तेल मंगवाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त रोस्टर के अनुसार 26 वीं तारीख तक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल आपूर्ति करेंगे। 26 वीं तारीख तक उठाव नहीं करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बाद ही किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे तथा निर्धारित तिथि को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त निदेश का उलंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा। साथ ही उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा को सुघना पट्ट पर तिथिवार अवश्य अंकित करेंगे।



जिलाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप सं० 912/जि०आ०, मोतिहारी दिनांक ०४ वीं नवम्बर 2013


प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक एवं सभी किरासन तेल थोक विक्रेता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला परिषद, मोतिहारी/अध्यक्ष, नगर परिषद, मोतिहारी/रक्सौल/नगरपंचायत, अरेराज/ वकिया/ सुगौली/ ढाका/ पकडीदयाल/ मोहरी/कंसरिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिलाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

